.....बनाम .....

किस्म मुकदमा ...उ०प्र० 128.....मु० नं०...2A(1)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम हुक्म की में जारी हुए
01/6/18	[illegible] उ०प्र० 128 उ०प्र० [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 11-6-18 को [illegible]	
11/6/18	पत्रावली लोक अदालत कैम्प नामनेर मे पेश हुई वकील उभयपक्ष व परोकार सरकार उपस्थित। वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। धा०प० धारा 128 पत्थरगढ़ी स्वीकार की जाने योग्य है। अतः वादीगण का धा०प० 128 पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार सिकराय को आदेश दिया जाता है कि वह राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित करके अराजी खसरा नं० 402 रकबा 0.49 हैक्टेयर वाके ग्राम बहरावण्डा त० सिकराय का सीमा बांध कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिकराय को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प नामनेर मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा